P.O. राजस्व कोर्ट में व्यस्त
आज ____ होने से
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 3/5/18
को पेश है

3/5/18 आज P.O. लाऊंप. होने से
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 12/7/18
को पेश हो

8-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में जोधपुर में पेश हुई। पत्रावली में वादी व प्रतिवादी के कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है। पत्रावली में पत्रावली का उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण ने कोई हक व दावेदारी नहीं होने के बावजूद भी वादी के कब्जे भूमि में प्रतिवादीगण दखलंदाजी करते है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि वादग्रस्त स्थित खसरा नं. 448/0-10, 450/0-02, 451/0-08, 455/1/0-09, 436/1/0-21 है भूमि में वादी के कब्जे भूमि में दखलंदाजी नहीं करें। पत्रावली डिक्री जारी हो। प्रकरण फौजल शुमार होकर नम्बर लेकर हो तथा बाद दाखिल पुस्तक लेख भण्डार हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में जोधपुर के माध्यम से आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जोधपुर